6/1) आज यह पत्रावली कोरमकोर्ट अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष अभि. को सुना गया व पत्रावली के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पक्षों का प्रकरण पूर्वक हस्ताक्षर प्रतीत होते अतः पक्षों के प्रा.पत्र प्रकरण में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 15-11-2015 को तामिलशुदा बाद मन्सूख किया जाता है। पत्रावली नस्ती के कम होकर बाद तकमील खारिज रजिस्टर की जावे। निर्णय कोरम कोर्ट में लिखाया व सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner